कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रसंख्या–डीजल/पेट्रोलपम्प/एफएस/2017 दिनॉक–मार्च 19, 2017

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी,
गोण्डा ।

विषयः–प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प ग्राम–बेलहरी परगना व तहसील–गोण्डा जनपद–गोण्डा में गोण्डा–उतरौला रोड, गाटा संख्या–269 पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के न्यू रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–67/जे0ए0(अना0 प्र0 पत्र)/2017 दिनॉक–16–03–2017 के अनुपालन में ग्राम– बेलहरी परगना व तहसील–गोण्डा, जनपद–गोण्डा में गोण्डा–उतरौला रोड, गाटा संख्या–269 पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट (नये पेट्रोल पम्प) स्थापना स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो स्थल सुरक्षित पाया गया । स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते है । तथा प्रस्तुत मानचित्र संख्या–बीपीसीएल/19जी/2017 का परीक्षण किया गया ।

निम्नलिखित अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।

1–डी0सी0पी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–10 कि0ग्रा0–08 अदद ।
2–सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–4.5 कि0गा0–02 अदद ।
3–फायर बकेट–08 अदद ।
4–बेल्चा–02 अदद ।
5–धूम्रपान निषेध बोर्ड – एक अदद ।
6–बालू–4X4X4 घनफिट ।
7–समर्सेबुल पम्प एवं पानी का टैंक स्थापित किया जाय ।
8–फायर स्टेशन गोण्डा का टेलीफोन नम्बर–101, की पट्टिका एक अदद ।

भण्डारण प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण कराते हुए पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक वर्ष स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु उपकरणों का रिफलिंग/टेस्टिंग कराया जाना आवश्यक होगा ।

अतएव उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर डीजल/पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है ।

19/3/17

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

प्रतिलिपिः–

1–प्रोपराइटर प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट ग्राम–बेलहरी गोण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।